

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 77/2018 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. मूलचन्द आत्मज भैरू लखारा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. अर्जुन लाल आत्मज भैरू लखारा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बालूराम आत्मज भैरू लखारा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दिनेशचन्द्र आत्मज भैरू लखारा निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. शिक्षा सहयोगी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला तेली मौहल्ला वार्ड नं. 8 आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये प्रधानाध्यापक
2. राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये प्रधानाध्यापक

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

**उपस्थित**

1. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

**निर्णय**

दिनांक 11.10.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आशाहोली तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण व माता मु० कंकु बेवा भैरू खारोल के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2113 रकबा 0.27 हैक्ट. भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 568 पर स्थित हैं। माता कंकु का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण ही मृतक कंकु के विधिक वारिसान हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त आराजी के पडौसी होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 06.06.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी करवाने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण

बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

## आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम आशाहोली हल्का आशाहोली के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2113 रकबा 0.27 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/- अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

  
गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा